154

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1109–एक/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–4–2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 4/अपील/अ–6–अ/13–14

1 गगन कुमार पुत्र श्री हरचरण जड़िया
2 पवन कुमार पुत्र श्री हरचरण जड़िया
निवासीगण कढ़ा की बगियां छतरपुर, द्वारा
मुख्त्यारआम हरचरण जड़िया पुत्र स्व0 श्री
प्रागीलाल जड़िया (वैध) निवासी शम्भू दुबे
का मकान, पुराना रोजगार कार्यालय के पास,
किशोर सागर रोड, जिला छतरपुर म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रमेश कुमार पुत्र श्री ज्ञानचंद चौरसिया,
निवासी चेतगिरी कालौनी, जिला छतरपुर म0 प्र0

–अनावेदक

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.12.2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 4/अपील/अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30–4–15 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक रमेशकुमार ने तहसीलदार छतरपुर के न्यायालय में दिनांक 3–3–12 को संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम सौरा के बन्दोबस्त के दौरान इस ग्राम की भूमि सर्वे नंबर 1239 व 1241 के अंशभाग का नया सर्वे नंबर 1597 बनाया गया है जो अनावेदक के स्वत्व की भूमि है । नये बंदोबस्त के दौरान आवेदकगण को खसरा नंबर 1597 दिया गया है जबकि मौके की स्थिति के अनुसार आवेदकगण को नया सर्वे नंबर दिया जाना था लेकिन त्रुटिवश उन्हें सर्वे नंबर 1597 दिया गया है । मौके की स्थिति के अनुसार आवेदकगण का जो खसरा नंबर है उस पर वह कब्जा न करके नये नम्बर 1597 में कब्जा करना चाहते है जबकि उनका वह नम्बर ही नहीं है । यह त्रुटि बन्दोबस्त कार्य के दौरान हुई है इसलिये उपरोक्त गलती का सुधार करने का अधिकार उन्हैं है । आवेदकगण ने उपरोक्त भूमि उमेश शुक्ला एवं रणधीर शर्मा से कय की थी । इस विकय पत्र में चौहद्दी के अनुसार नया नम्बर प्राप्त होना चाहिये था, जो बंदोबस्त की त्रुटि से 1597 प्राप्त हुआ है जिसको सुधार कर उनके कब्जे अनुसार 1597 के स्थान पर खसरा नंबर पर सुधार किया जावे, जिससे विवादित स्थिति उत्पन्न न हो सके । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक के इस आवेदन का जबाब आवेदकगण से प्राप्त किया व अपने आलौच्य आदेश दिनांक 14–3–12 द्वारा अनावेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि बंदोबस्त की त्रुटियों का सुधार संहिता की धारा 115, 116 के अंतर्गत नहीं किया जाता है और नक्शे में कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधार करने का अधिकार भी उनके न्यायालय को नहीं है । अनावेदक रमेशकुमार ने तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रकरण कमांक 112/11–12 प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी ने यह अपील अपने आदेश दिनांक 18–7–2012 द्वारा इस आधार पर निरस्त की है कि अनावेदक का आवेदन मूलतः बंदोबस्त की त्रुटि सुधार से संबंधित है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के रूप में आदेश पारित किया जाना था । संहिता की धारा 89 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां ही तहसीलदार को प्रदान की

गई है । उपखण्ड अधिकारी तथा तहसीलदार दोनों ही सहायक बंदोबस्त अधिकारी के रूप में धारा 89 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं अतः संहिता की धारा 44 (ग) के अनुसार सहायक बंदोबस्त अधिकारी के रूप में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील बंदोबस्त अधिकारी को होगी । अनावेदक रमेशकुमार ने अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग के न्यायालय में द्वितीय अपील कमांक 1338/अ–6/11–12 प्रस्तुत की लेकिन अपर आयुक्त, सागर संभाग द्वारा भी अनावेदक की यह अपील इस निर्देश के साथ दिनांक 12–8–2013 को निरस्त की है कि अनावेदक नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करे । तत्पश्चात अनावेदक ने माननीय उच्च न्यायालय, बैंच जबलपुर के समक्ष याचिका कमांक 15645/2013 प्रस्तुत की । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका में पारित आदेश दिनांक 26–11–2013 के अनुसार अनावेदक ने यह याचिका बाद में वापिस ले ली है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने अनावेदक को अवधि विधान की धारा 5 सहपठित धारा 14 के प्रावधानों का लाभ प्रदान कर अनावेदक की अपील गुणदोषों पर निराकृत करने के आदेश दिये हैं । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 4/अपील/अ–6–अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30–3–2015 द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार, छतरपुर को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्षों को प्रकरण में सुनवाई दिनांक को लिखित बहस पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया था किंतु उनके द्वारा अज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अनावेदक द्वारा

संहिता की धारा 115, 116 के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । तहसील न्यायालय द्वारा इस आधार पर अनावेदक का आवेदन निरस्त किया गया कि उक्त आवेदन बंदोवस्त की त्रुटियों के सुधार के संबंध में है । तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने की है । अपर कलेक्टर ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि यदि तहसीलदार को यह प्रतीत हो रहा था कि संहिता की धारा 115, 116 के तहत बंदोवस्त की त्रुटियों का सुधार नहीं किया जाता तो उनको आवेदक के आवेदन का निराकरण संहिता की सही धारा में करना चाहिए था । अपर कलेक्टर ने संहिता की धारा 89 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के साथ–साथ तहसीलदार को भी इस धारा के तहत कार्यवही करने की शक्तियां प्राप्त होने से प्रकरण उन्हें प्रत्यावर्तित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टरके आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है । उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का समुति अवसर विचारण न्यायालय में उपलब्ध है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्ययालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर